न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **90/2021** दायर दिनाँक **17.06.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रिछपाल सिंह पुत्र स्व. छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. रेवन्त सिंह 2. श्रवण सिंह 3. जगमाल सिंह पुत्रगण स्व गणपत सिह 4. मंगेज कंवर 5. किशन कंवर 6. स्याना कंवर पुत्रियां स्व. गणपत सिंह 7. सोन कंवर पत्नि स्व. गणपत सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ठाकरियास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 8. भंवरसिंह पुत्र स्व. मोहनसिंह 9. मालसिंह 10. सुरेन्द्र सिंह 11. मूलसिंह 12. तेजसिंह पुत्रगण स्व. छोटूसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ठाकरियास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 13. मदन सिंह 14. बजरंग सिह पुत्रगण स्व. हरिसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ठाकरियास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 15. व्यवस्थापक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा डीडवाना। 16. व्यवस्थापक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा डीडवाना। 17. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री रघुवीर सिंह वकील वादी।
2. श्री छोटूराम चौधरी वकील प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **03.09.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वाकै सरहद ठाकरियास के कांकड़ में पैतृक सम्पति के पुराने खेत खसरा नम्बर 281 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं0 347 रकबा 08 बिस्वा (गै0मु0), खसरा सं0 352 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 307 रकबा 61 बीघा 01 बिस्वा कुल रकबा 65 बीघा 08 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा सं0 442 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा सं0 488 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा [illegible] खसरा सं0 490 रकबा 9.82 हैक्टर, खसरा सं0 543 रकबा 0.06 है[illegible] खसरा सं0 548 रकबा 0.39 हैक्टर कुल रकबा 10.5[illegible] हैक्टर है।

यह है कि उक्त वर्णित खेत खसरा [illegible] में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 14 के दादा गुलाबसिंह व उनके पिता क्रमशः स्व0

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:34:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मोहनसिह, स्व. गणपतसिंह, स्व0 छोटूसिंह, स्व0 हरिसिंह के नाम कुल जमीन 244 बीघा 04 बिस्वा थी। जिस पर स्व0 गुलाबसिंह के जीवनकाल में उनका कब्जा काश्त रहा तथा उनके देहान्त के पश्चात उनके चारो पुत्र मोहनसिंह गणपतसिंह, छोटूसिंह व हरिसिंह प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा अनुसार मौके पर कब्जा काश्त रहा है तथा उन्होने अपने जीवनकाल में कुल रकबा 244 बीघा 04 बिस्वा का बंटवारा कर लिया था। जिसके अनुसार प्रत्येक के 1/4 हिस्सा अनुसार 61 बीघा 01 बिस्वा भूमि बंट में आयी थी। उसी के अनुसार मौके पर उनका कब्जा काश्त रहा है तथा उनके देहान्त के पश्चात उक्त भूमि 1/4 हिस्सा अनुसार स्व. मोहनसिंह के पुत्र भंवरसिंह 61 बीघा 01 बिस्वा भूमि तथा स्व0 गणपतसिंह के वारिसान के 61 बीघा 01 बिस्वा भूमि, स्व0 छोटूसिंह के वारिसान के भी 61 बीघा 01 बिस्वा भूमि तथा स्व0 हरिसिंह के भी 61 बीघा 01 बिस्वा भूमि बंट व उनके नाम रही है तथा वर्तमान में भी खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

यह है कि स्व. गणपतसिंह, छोटूसिंह, हरिसिंह व स्व0 मोहनसिंह के पुत्र भंवरसिंह ने जब बंटवारा किया तब उनके ध्यान में कुल रकबा 244 बीघा 04 बिस्वा भूमि थी। जिसका उन्होने 1/4 हिस्सा अनुसार प्रत्येक ने बंटवारा कर लिया था। मगर सहवन से 04 बीघा 07 बिस्वा भूमि का बंटवारा नही किया गया। जिसके कारण उक्त भूमि स्व0 गणपतसिंह के अकेले के नाम रह गई। उनके देहान्त के पश्चात उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के नाम फौतगी म्यूटेशन के आधार पर चढ गई जो वर्तमान में भी उनके पूर्व में बंटवारा के अनुसार 61.01 बीघा के अलावा 04 बीघा 07 बिस्वा अधिक दर्ज है। जिसका बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 के बीच 1/4–1/4 हिस्सा अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। मगर मौके पर सभी पर मौखिक बंटवारा के अनुसार कब्जा काश्त है। जिसका कानूनी रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाकर सभी की खातेदारी अलग–अलग दर्ज करावें।

यह है कि वादी द्वारा उपरोक्त दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश कर न्यायालय से निम्न अनुतोष की मांग की जाती है–

(क) यह है कि दावे में उपरोक्त वर्णितानुसार पैतृक सम्पति के पुराने खेत खसरा सं0 281 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं0 347 रकबा 08 बिस्वा, खसरा सं0 352 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 442 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा सं0 488 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा सं0 489 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा सं0 543 रकबा 0.06 (गै.मु.), खसरा सं0 548 रकबा 0.39 हैक्टर कुल रकबा 0.77 हैक्टर का बंटवारा 1/4 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के वादी व प्रतिवादी 08 ता 14 एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के बीच किया जाकर उनकी खातेदारी करीब 01 बीघा 01 बिस्वा अलग–अलग अमल दरामद कराने हेतु तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी फरमावें।

(ख) यह है कि प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 वादी व प्रतिवादी संख्या 08 ता 14 के बंट में मौखिक बंटवारे के अनुसार विवादित खेत प्रत्येक के करीब 1/4 हिससे अनुसार 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि बंट में आयी हुई है। जिस पर उनका मौके पर निर्वाविदित रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(ग) यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 08 ता 14 के बंट में आयी उक्त खसरा सं0 की विवादित भूमि जिसमें प्रतिवादी सख्या 01 ता 07 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, उनका नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी सं0 04, 05, 06, 15, 16, 17 को जरिये सम्मन तलब किया गया, बावजुद तामिल अनुपस्थित अतः इनके खिलाफ एक पक्षि[illegible] कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03, 07 ता 14 की तरफ से वकील [illegible] ने वकालतनामा पेश किया। वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 03, [illegible] ता [illegible] ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा के मुताबिक पक्षकारान [illegible] अनुसार [illegible] की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकुलाय पक्षकारान् दावानुसार जरिये राजीनामा मुता[illegible] दावा डिक्री चाहते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:34:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् दावानुसार खातेदारी चाहते है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा वाकै सरहद ठाकरियास के वाद में पेश राजीनामा अनुसार वादी रिछपाल सिंह प्रतिवादी माल सिंह, सुरेन्द्र सिंह, मूल सिंह, तेज सिंह खसरा सं0 442 मे से 01 बीघा 01 बिस्वा व प्रतिवादी रेवंतसिंह, श्रवण सिंह, जगमाल सिंह, सोन कंवर के पुराने खसरा सं0 307 रकबा 61 बीघा 01 बिस्वा सम्पूर्ण एवं खसरा सं0 548 में से 01. बीघा 01 बिस्वा एवं प्रतिवादी भंवर सिंह 543 रकबा 0.08 बिस्वा रहवासी ढाणी एवं खसरा सं0 490 में से 12 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी मदन सिंह एवं बजरंग सिंह खसरा 558 में से 1 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरां सं0 442, 543, 490, 458 में से प्रतिवादी सं0 01 ता 07 का नाम हटाया जाता है । तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **03.09..2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:34:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 90/2021 दायर दिनाँक 17.06.2021

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रिछपाल सिंह पुत्र स्व. छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. रेवन्त सिंह 2. श्रवण सिंह 3. जगमाल सिंह पुत्रगण स्व गणपत सिह 4. मंगेज कंवर 5. किशन कंवर 6. स्याना कंवर पुत्रियां स्व. गणपत सिंह 7. सोन कंवर पत्नि स्व. गणपत सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ठाकरियास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 8. भंवरसिंह पुत्र स्व. मोहनसिंह 9. मालसिंह 10. सुरेन्द्र सिंह 11. मूलसिंह 12. तेजसिंह पुत्रगण स्व. छोटूसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ठाकरियास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 13. मदन सिंह 14. बजरंग सिह पुत्रगण स्व. हरिसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ठाकरियास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 15. व्यवस्थापक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा डीडवाना। 16. व्यवस्थापक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा डीडवाना। 17. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 03.09.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रघुवीर सिंह वकील वादी व श्री छोटूराम चौधरी वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा वाकै सरहद ठाकरियास के वाद में पेश राजीनामा अनुसार वादी रिछपाल सिंह प्रतिवादी माल सिंह, सुरेन्द्र सिंह, मूल सिंह, तेज सिंह खसरा सं0 442 मे से 01 बीघा 01 बिस्वा व प्रतिवादी रेवंतसिंह, श्रवण सिंह, जगमाल सिंह, सोन कंवर के पुराने खसरा सं0 307 रकबा 61 बीघा 01 बिस्वा सम्पूर्ण एवं खसरा सं0 548 में से 01. बीघा 01 बिस्वा एवं प्रतिवादी भंवर सिंह 543 रकबा 0.08 बिस्वा रहवासी ढाणी एवं खसरा सं0 490 में से 12 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी मदन सिंह एवं बजरंग सिंह खसरा [illegible] से 1 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरां सं0 442, 543, 490, 458 में से प्रतिवादी [illegible] 01 [illegible] 07 का नाम हटाया जाता है । तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री [illegible] राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:34:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 03.09.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:34:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner